R.N.R.

सामने जे एस. नारंग जे,

अल्ताफ *हुसैन – याचिकाकर्ता*

बनाम

हामिद *हुसैन – उत्तरदाता*

इ। पी। नंबर 2000 का 13

17 अगस्त, 2001

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 – धारा 100 (1) (c) – चुनाव हरियाणा विधान सभा – नामांकन पत्रों की अस्वीकृति – एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दायर – पार्टी को न तो मान्यता प्राप्त है और न पंजीकृत है – उम्मीदवार दस प्रस्तावकों को प्रस्तुत करने में विफल एक स्वतंत्र उम्मीदवार के नामिती *के रूप में व्यवहार करने के लिए– रिटर्निंग ऑफिसर का नामांकन पत्र को सही ढंग से खारिज करना –किसी पंजीकृत/मान्यता प्राप्त पार्टी के कवरिंग उम्मीदवार का नामांकन पत्र दायर किया गया है- मुख्य उम्मीदवार का नामांकन पत्र स्वीकृत – कवरिंग उम्मीदवार का नामांकन 10 प्रस्तावकों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं – नामांकन पत्र की अस्वीकृति –मान्य।*

यह अभिनिर्णित किया गया है कि, कि याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसका नामांकन पत्र दायर किया गया था जिसे एक राजनीतिक दल के नामांकित व्यक्ति के रूप में प्रस्तावित किया गया था जो राजनीतिक दल स्वीकार करता है कि न तो उसे मान्यता

प्राप्त है और न ही पंजीकृत है। इस प्रकार, उस आधार पर नामांकन पत्र टिकाऊ नहीं था और अगर इसे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के नामांकन के रूप में माना जाए, दस प्रस्तावकों के हस्ताक्षर आवश्यक थे लेकिन जांच की तारीख पर नामांकन पत्र पर वही नहीं पाए गए और ऐसी अनियमितता के कारण रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र को अस्वीकार करने का आदेश सही ढंग से पारित किया गया है । कोई प्रावधान नहीं है जो बताया गया है जो याचिकाकर्ता को अनियमितता को सुधारने में सक्षम कर सकता है जो अनियमितता प्रकृति में सुस्पष्ट है, ऐसा कार्य खंडन के दायरे में नहीं लाया जा सकता और लिपिक प्रकृति की कमी के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, नामांकन पत्र सही ढंग से खारिज किये जाने से, प्रतिवादी के चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया कोई भी आधार उसके लिए उपलब्ध नहीं है।

(पैरा 22)

इसके अलावा यह अभिनिर्णित किया गया है कि, यह तर्क कि इस आधार पर कि मुख्य उम्मीदवार के नामांकन पत्र को स्वीकार कर लिया गया है जैबुनिस्सा का नामांकन पत्र वैध रूप से दायर किए किये जाने के कारण उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, टिकाऊ नहीं है । इसी तरह के तर्क पर शीर्ष न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया है और यह अवधारित किया गया है कि यदि मान्यता प्राप्त और पंजीकृत पार्टी के मुख्य उम्मीदवार / आधिकारिक उम्मीदवार के नामांकन पत्र को स्वीकार किया जाता है, तो दूसरे उम्मीदवार यानी एक ही पार्टी के कवरिंग उम्मीदवार का नामांकन खारिज किए जाने योग्य है । किसी मान्यता प्राप्त पार्टी के केवल एक उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की अनुमति

दी जा सकती है । इस प्रकार, यह तर्क कि रिटर्निंग अधिकारी की आवश्यकता थी नाम वापसी की तारीख तक इंतजार करें, न तो यहां है और न ही वहां।

(पैरा 26)

अल्ताफ हुसैन याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से ।

एस.सी. कपूर, वरिष्ठ अधिवक्ता, आशीष कपूर, अधिवक्ता के साथ, *प्रतिवादी के लिए।*

निर्णय

जे. एस. नारंग, जे.

(1) याचिकाकर्ता ने हरियाणा विधान सभा के सदस्य के चुनाव को चुनौती दी है जो 90 सदस्यों के चुनाव के लिए हरियाणा विधान सभा के आम चुनाव में 58- नूंह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित हुआ था । चुनाव का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से घोषित किया गया था

(2) नामांकन पत्र 3 फरवरी 2000 तक दाखिल किए जाने थे । इसकी जांच 4 फरवरी, 2000 के लिए तय की गई थी और 7 फरवरी, 2000 को या उससे पहले नाम वापसी की तारीख। मतदान 22 फरवरी, 2000 को होने वाला था और इसका परिणाम 25 फरवरी, 2000 को घोषित होना था ।

(3) याचिकाकर्ता ने उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और और उसके अनुसरण में इसके लिए रु. 5,000.00 जमानत राशि के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया । तय की गई तारीख पर रिटर्निंग ऑफिसर, नुह को नामांकन पत्र जमा करना था । याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल के एक उम्मीदवार के रूप में अपने नामांकन पत्र दायर किए थे यह मानकर कि उक्त पार्टी एक मान्यता प्राप्त और एक पंजीकृत पार्टी है । जांच करने पर, रिटर्निंग ऑफिसर ने खुलासा करते हुए याचिकाकर्ता को बताया कि राष्ट्रीय लोक दल मान्यता प्राप्त और एक पंजीकृत पार्टी नहीं है, इस प्रकार, याचिकाकर्ता का नाम एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में दस प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना

आवश्यक था। आपत्ति उठाई गई थी, लेकिन उसके गैर अनुपालन के कारण, नामांकन कागज को 4 फरवरी, 2000 को खारिज कर दिया गया था। यह आरोप है कि उसने आपत्ति को हटाने के लिए एक दिन का समय मांगा। लेकिन, इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता ने आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए 4 फरवरी, 2000 को इंतजार किया उनको कोई विस्तार नहीं दी गई थी न ही उस आदेश की प्रति दी गई जिसके द्वारा नामांकन कागज को खारिज कर दिया गया था।

(4) यह भी आरोप है कि दो अन्य उम्मीदवारों अर्थात् महबूब हसन और श्री हबीबुर रहमान के स्थानापन्न उम्मीदवार, हबीबुर रहमान की पत्नी श्रीमती जैबुन्निसा, के नामांकन पत्र भी खारिज कर दिए गए । इसी तरह के अनुरोध के बावजूद श्रीमती जैबुन्निसा और महबूब हसन ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की। । यह 5 फरवरी, 2000 की बात है, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4 फरवरी, 2000 की प्रति की मांग करते हुए एक अनुरोध किया गया था। यह आरोप लगाया जाता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था कि याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है यदि वह शाम 5 बजे तक दस व्यक्तियों को प्रस्तावकों के रूप में प्रस्तुत कर सकता है और यह कि इस आवश्यकता का एक बार में विधिवत अनुपालन किया गया । यह आरोप लगाया जाता है कि याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा स्वीकार किया गया था लेकिन जब उसने दोनों अवसरों पर पारित किए गए आदेशों की कॉपी की मांग की कोई आपूर्ति नहीं की गई थी, लेकिन अंततः उन्हें 10:30 बजे टेलीफोन पर सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है।

(5) याचिकाकर्ता ने इस संबंध में 9 फरवरी, 2000 को भारत के मुख्य चुनाव आयोग को सूचना / शिकायत भेजी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को चुनाव लड़ने के अवसर से इनकार कर दिया गया था और वह प्रतिवादी श्री हामिद हुसैन यासिन खान के बेटे को भौतिक लाभ के कारण याचिकाकर्ता की कीमत पर पूर्वोक्त निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया था ।

(6) चुनाव के परिणाम को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि नामांकन पत्र की उचित जांच नहीं की गई है और कि यह आपत्ति तर्कसंगत नहीं है कि राष्ट्रीय लोक दल एक मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है और यह उसके पास दस प्रस्तावक थे जो उसके साथ थे जो नामांकन पत्र पर आसानी से अपने हस्ताक्षर कर सकते थे लेकिन इस संबंध में कोई अवसर नहीं दिया गया। आगे यह कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा राजनीतिक दबाव में याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है । रिटर्निंग ऑफिसर का आचरण बहुत स्पष्ट है कि इसी तरह स्थित व्यक्ति अर्थात् श्रीमती जैबुन्निसा के नामांकन पत्र को भी निर्वाचित अभ्यर्थी को लाभ देने के लिए अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया।

(7) प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद जवाब दावा दर्ज किया गया है। प्रतिवादी का रुख यह है कि याचिका टिकाऊ नहीं है क्योंकि इसमें भौतिक तथ्यों के प्रकटीकरण का अभाव है और कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया है, एक अगली कड़ी के रूप में, याचिका खारिज होने की पात्र है। इस आरोप कि याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर ने दुर्भावनापूर्ण इरादे

और राजनीतिक दबाव से खारिज कर दिया था को इनकार किया गया है हालांकि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इनकार किया जाना आवश्यक था, जिसे स्वीकृत तौर पर याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

(8) प्रत्युत्तर दायर की गई है और जवाब दावे में निहित प्रकथन का यांत्रिक इनकार किया गया है और याचिका में दिए गए तथ्यों को दोहराया गया है।

(9) पार्टियों की दलीलें पर, निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए हैं: –

(i) क्या याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र गलत और अनुचित तरीके से लागू कानून के उचित प्रावधान का पालन किए बिना अस्वीकार कर दिया गया ? यदि हां, तो इसका प्रभाव ? OPP

(ii) क्या जैबुन्निसा का नामांकन पत्र अनुचित और गलत तरीके से कानून के प्रावधानों के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना खारिज कर दिया ? यदि हां, तो इसका प्रभाव ? OPP

(iii) क्या चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों और प्रकथन की कमी है, जिसके कारण, वह कार्रवाई के कारण का कोई खुलासा नहीं करता है ? OPP

(iv) राहत।

(10) अपनी दलीलें पर किसी भी पक्ष द्वारा किसी अन्य मुद्दे पर दावा नहीं किया गया था ।

(11) याचिकाकर्ता ने चार गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें खुद भी शामिल है और गवाहों के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाए गए कुछ दस्तावेजों पर निर्भरता रखी है । गवाहों के नाम और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों निम्नानुसार हैं :-

क्रमांक	गवाह का नाम और नंबर	पेश दस्तावेज़ और प्रदर्शन	दस्तावेज़ का विस्तार
1.	संत लाल PWI	मूल रिकॉर्ड को टेंडर किया।	
2.	अल्ताफ हुसैन PW2	PW2 / 1	नामांकन पत्र को अस्वीकार करने के आदेश की प्रतिलिपि के लिए आवेदन ।
		PW2 / 2	-- जैसा कि ऊपर बताया गया है -
		PW2 / 3	अल्ताफ हुसैन का नामांकन पत्र

क्रमांक	गवाह का नाम और नंबर	पेश और प्रदर्शन	दस्तावेज़ का विस्तार
		PW2 / 4	राजनीतिक दल द्वारा स्थापित किए गए उम्मीदवार के नाम का फॉर्म 'बी' के रूप में नोटिस
		PW2 / 5	फॉर्म 'ए' अधिकृत व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक दल द्वारा स्थापित उम्मीदवारों के नाम की सूचना के संबंध में संचार ।
3	यू.एस. सोहल PW3	PW3 / 1	रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पारित आदेश
		PW3 / 2	जैबुनिस्सा का नामांकनपत्र

		PW3 / 3	जैबुनिस्सा के नामांकन पत्र का स्वीकृति आदेश
		PW3 / 4	रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पारित आदेश।
4	जैबुनिस्सा PW4	-	-
5	हामिद हुसैन RW1	-	-
6	अशरफ हुसैन RW2	-	-

(12) आधिकारिक गवाह यानी PW1 श्री संत लाल ने दस्तावेजों को पेश किया लेकिन उनका प्रदर्शन नहीं किया गया क्योंकि बिना शपथ के उसकी जांच की गई।

(12-A) याचिकाकर्ता ने खुद को PW2 के रूप में जांचा और याचिका में वर्णित तथ्यों की पुष्टि की और स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपने नामांकन कागजात की जांच के समय मौजूद थे, जो उसी तारीख यानी 4 फरवरी, 2000 को खारिज कर दिए गए थे । अस्वीकृति का आधार यह बताया गया है कि जिस पार्टी ने याचिकाकर्ता को नामांकित किया था, वह एक मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लिखित में आपत्ति उठाई और यह कि उनके नामांकन पत्र को अस्वीकार करने वाले आदेश की प्रति की आपूर्ति नहीं की गई थी। यह भी कहा गया है कि

याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को अस्वीकार करने का आदेश उनकी उपस्थिति में निर्देशित किया गया था। उन्होंने 5 फरवरी, 2000 को निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की क्योंकि वे निर्वाचन अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करना चाहते थे। यह भी कहा जाता है कि निर्वाचन अधिकारी ने उनसे पूछा था कि यदि प्रस्ताव पर दस व्यक्तियों (प्रस्तावकों) द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं तो नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा। उस दिन वे याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए दस व्यक्तियों को निर्वाचन अधिकारी के सामने लाए। सभी दस व्यक्तियों ने नामांकन पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए। यह सही है कि उक्त व्यक्तियों द्वारा 5 फरवरी, 2000 को निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे। निर्वाचन अधिकारी ने याचिकाकर्ता को मौखिक रूप से बताया था कि उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया है लेकिन इस तरह के आदेश की कोई प्रति याचिकाकर्ता को नहीं दी गई थी। यह 5 फरवरी, 2000 को 10.30 p.m. पर था, जब याचिकाकर्ता ने रिटर्निंग ऑफिसर को फोन किया था, याचिकाकर्ता को टेलीफोन पर सूचित किया गया था कि उसका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। इसी तरह, महबूब हसन द्वारा दाखिल नामांकन पत्र को खारिज कर दिया गया। निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल आवेदनों की प्रतियों को Exs. PW 2/1 से Ex. PW 2/2 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि हस्ताक्षर याचिकाकर्ता द्वारा साबित किए गए थे।

(13) याचिकाकर्ता को यह याद नहीं था कि क्या सभी उक्त व्यक्तियों ने नामांकन पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए थे। याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल नामांकन पत्र को स्वीकार कर लिया गया है और उसे Ex PW 2/3 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि प्रस्तावकों में से एक ने नामांकन पत्र को प्रस्तावक के रूप में चिह्नित किया था, लेकिन उक्त अंगूठे के निशान को किसी भी प्राधिकरण द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। यह भी स्वीकार किया गया है कि आवेदन Ex. PW 2/1

की तिथि 5 फरवरी, 2000 है। यह भी स्वीकार किया गया है कि 4 फरवरी, 2000 को दायर किया गया कथित आवेदन रिकॉर्ड में नहीं है जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी से तलब किया गया है। यह आगे स्वीकार किया गया है कि उनके नामांकन पत्रों के साथ फॉर्म बी और ए, जिन्हें Ex. PW 2/4 और PW 2/5 के रूप में प्रदर्शित किया गया है भी दायर किए गए थे, जिसमें याचिकाकर्ता का न नाम उल्लेख करता है और न ही याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर हैं। यह भी स्वीकार किया गया है कि नामांकन पत्र भरने के समय केवल एक प्रस्तावक ने अपने हस्ताक्षर किए थे। याचिकाकर्ता यह नहीं बता सका कि महबूब हसन का नामांकन पत्र किस आधार पर खारिज कर दिया गया था।

(14) याचिकाकर्ता ने श्री यू.एस. सोहल, रिटर्निंग ऑफिसर को तलब किया। निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल नामांकन पत्र प्राप्त हो गया था और नामांकन पत्र दाखिल करने के समय याचिकाकर्ता को शपथ दिलाई गई थी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी, 2000 थी। नामांकन पत्रों की जांच 4 फरवरी, 2000 को की गई थी और बारी-बारी से जांच की गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल नामांकन पत्र क्रम में नहीं पाया गया क्योंकि प्रस्ताव पर दस व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे जैसा कि क़ानून के तहत आवश्यक था। यह आदेश उनके (निर्वाचन अधिकारी) द्वारा 4 फरवरी, 2000 को पारित किया गया था जिसे Ex PW 3/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है जिसमें गवाह द्वारा हस्ताक्षर की पहचान की गई है। इसी तरह, श्रीमती जाबुनिसा द्वारा दाखिल किया गया नामांकन पत्र की भी उसी तारीख को जांच की गई थी। नामांकन पत्र की पहचान की गई है और इसे Ex. PW 3/2 के रूप में प्रदर्शित किया गया है और उससे संबंधित आदेश Ex. PW 3/3 है जहां पर हस्ताक्षर गवाह द्वारा पहचाना गया था। मुख्य परीक्षा में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता 4 फरवरी, 2000 को नहीं आया था, जब उसका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था, इसलिए आदेश की प्रति उसे प्रदान नहीं की जा सकी थी। उन्होंने आगे पुष्टि

की कि 4 फरवरी, 2000 को याचिकाकर्ता की ओर से नामांकन पत्र की अस्वीकृति को स्थगित करने के लिए कोई अनुरोध का आवेदन नहीं दिया गया था । हालांकि, यह स्वीकार किया गया है कि आदेश जिस से उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था, की प्रमाणित प्रति की आपूर्ति के लिए आवेदन दायर किया गया था। कहा जाता है कि आवेदन गवाह के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने इस आशय का मौखिक अनुरोध किया था कि नामांकन पत्रों को अब दस प्रस्तावकों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए। गवाह ने आगे कहा कि उसने अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और याचिकाकर्ता द्वारा लाए गए व्यक्तियों को उसकी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई थी। यह अनुरोध 5 फरवरी, 2000 को किया गया था, जिसके बाद, नामांकन पत्र को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि यह कानूनी और तकनीकी रूप से मान्य नहीं था। इस संबंध में, 5 फरवरी, 2000 का आदेश गवाह द्वारा पारित किया गया था जिसे Ex. PW 3/4 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यह आदेश याचिकाकर्ता के मौखिक अनुरोध पर पारित किया गया था। दिनांक 5 फरवरी, 2000 के आदेश की प्रति उसी दिन शाम को याचिकाकर्ता को प्रदान की गई थी।

(15) गवाह द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक प्रस्तावक की मतदाता संख्या की तुलना उसके द्वारा मतदाता सूची में निहित संख्या के साथ की गई थी, लेकिन इसके समर्थन में किसी भी प्रकार के दस्तावेज को बुलाकर उक्त प्रस्तावक की कोई सत्यापन या पहचान नहीं की गई थी, लेकिन केवल उन नामों की तुलना की गई थी जो प्रस्तावकों द्वारा प्रकट किए गए थे ।

(16) याचिकाकर्ता ने हबीबुर रेहान की पत्नी एमएसटी जयबुन्निसा की जांच PW 4 के रूप में की है। । उन्होंने मुख्य परीक्षा में कुछ भी ठोस नहीं कहा है लेकिन यह उनके द्वारा प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया गया है कि उन्होंने

और उनके पति ने उसी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किए और उनके पति उक्त पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे।

(17) प्रत्यर्थी ने खुद सहित केवल दो गवाहों से पूछताछ की और कोई दस्तावेज प्रस्तुत या प्रदर्शित नहीं किया गया। प्रत्यर्थी ने खुद की RW 1 के रूप में जांच की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नामांकन पत्र की जांच की तारीख पर याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं थे। याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उन्हें किसी मान्यता प्राप्त दल द्वारा नामित नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी कहा है कि एमएसटी जयबुन्निसा के नामांकन पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उनके पति के नामांकन पत्र को B.S.P. के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तीसरे उम्मीदवार को भी पिछले चुनाव में उनके द्वारा किए गए कार्य के कारण चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था, क्योंकि वे नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकते थे। प्रतिपरीक्षा में कुछ भी ठोस नहीं निकला है और न ही गवाह को कोई नकारात्मक सुझाव दिया गया है। ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है कि उनके प्रभाव के कारण याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था। गवाह द्वारा इस सुझाव से स्पष्ट इनकार किया गया है कि उसने राजनीतिक प्रभाव के कारण याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र खारिज करवा दिया था।

(17-A) उनके अलावा, श्री असरफ हुसैन का RW2 के रूप में परीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भी नामांकन पत्र दाखिल किया था। उन्होंने इस तथ्य की पुष्टि की है कि निर्वाचन अधिकारी ने याचिकाकर्ता से कहा था कि उनका नामांकन पत्र वैध रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि जो पार्टी उन्हें प्रायोजित कर रही है वह मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, इसलिए उन्हें दस व्यक्तियों के हस्ताक्षर के तहत अपना नामांकन पत्र दाखिल करना चाहिए अन्यथा उनका नामांकन पत्र खारिज

कर दिया जाएगा। यह आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने निर्वाचन अधिकारी से कहा कि वह जो भी आदेश चाहें, उन्हें पारित किया जा सकता है, लेकिन वह कोई बदलाव नहीं चाहेंगे। 4 फरवरी, 2000 को उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नामांकन पत्रों की जांच की गई। याचिकाकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं था या उस दिन किसी प्रतिनिधि द्वारा उसका प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसे एक दल द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसे मान्यता नहीं दी गई थी। इसलिए, उनका नामांकन पत्र एक प्रस्तावक द्वारा एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया गया माना जाएगा, जबकि कानून के तहत दस प्रस्तावकों को अपने हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। कोई ठोस प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है, इस तरह उक्त गवाह से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है।

मुद्दा नं. 1.

(18) याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा वैध रूप से दाखिल नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी द्वारा गलत और अनुचित रूप से खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 के खंड (1) के उपखंड (ग) के अनुसार (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) प्रत्यर्थी (निर्वाचित अभ्यर्थी) के चुनाव को शून्य घोषित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त प्रावधान पर ध्यान देना उचित होगा जो इस प्रकार हैः-

100. चुनाव को शून्य घोषित करने का आधार.-

(1) उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन, यदि उच्च न्यायालय की राय है-

(ए) xxx xxx xxx

(बी) xxx xxx xxx

(सी) कि किसी भी नामांकन को अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया है; या

(डी) xxx xxx xxx

(2) xxx xxx xxx

(19) यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र पर दस प्रस्तावकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं, हालांकि, यह उचित रूप से स्वीकार किया गया है कि जिस तारीख को नामांकन पत्र जमा किया गया था उस पर दस प्रस्तावकों के हस्ताक्षर नहीं थे। 5 फरवरी 2000 को ही रिटर्निंग अधिकारी ने दस प्रस्तावकों को अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी। इस प्रकार, वैध नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा वैध रूप से प्रस्तुत नामांकन पत्र को अस्वीकार करने का रिटर्निंग अधिकारी के पास कोई औचित्य नहीं था। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र में कोई दोष जिसे काफी हद तक गलत कहा जा सकता हो नहीं पाया गया है । रिटर्निंग अधिकारी का यह कर्तव्य था कि जब उसे नामांकन पत्र प्रस्तुत किया जाए तो वह उस पर गौर करे। उनका दायित्व था कि वे स्वयं को संतुष्ट कर लें कि नामांकन पत्र सभी प्रकार से वैध है। हालाँकि, यदि किसी कमी को इंगित किया जाता है और अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (4) के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी पर डाले गए दायित्व के आधार पर उसे पूरा करने की अनुमति दी जाती है, तो रिटर्निंग अधिकारी के पास उक्त नामांकन पत्र को वैध एवं उचित रूप से प्रस्तुत किया गया स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। । रामअवधेश सिंह बनाम सुमित्रा देवी[1] के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है, और विशेष रूप से फैसले के पैरा 13 का संदर्भ दिया गया है।

[1] AIR 1972 SC 580

(20) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि नामांकन पत्र की जांच कानून के प्रावधानों के अनुसार की जानी है और इस संबंध में धारा 26 और धारा 33 के प्रावधान का भी संदर्भ दिया गया है। अधिनियम। तर्क यह है कि रिटर्निंग अधिकारी को उठाई जा सकने वाली आपत्तियों के संबंध में सारांश जांच करके सभी आपत्तियों पर निर्णय लेना आवश्यक है। इस प्रकार उठाई गई आपत्तियों का खंडन नामांकित व्यक्ति द्वारा स्वयं या इस संबंध में विधिवत अधिकृत उसके प्रतिनिधि के माध्यम से करने की अनुमति दी जा सकती है।

(21) आगे यह तर्क दिया गया है कि रिटर्निंग अधिकारी केवल उस सुधार की अनुमति दे सकता है जो मतदाता सूची में गलत विवरण, लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि के दायरे में आता है, जहां भी इसे सही करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, कोई भी कमी या कोई अनियमितता, जो अपने चरित्र में पर्याप्त हो, को सुधारने या पूरा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में रफीक खान और अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण शर्मा[2] सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है । जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नामांकन पत्र को इस आधार पर खारिज करना कि उम्मीदवार के प्रस्तावक की मतदाता सूची में मतदाता सूची संख्या नामांकन पत्र में उल्लिखित संख्या से गलत दर्ज की गई है वह प्रकृति और चरित्र में पर्याप्त दोष माना जाएगा, इसलिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे आधार पर नामांकन पत्र की अस्वीकृति सही पाई गई। मौजूदा मामले में, यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा नामांकन पत्र जमा करने की तिथि पर, इसमें दस प्रस्तावकों के हस्ताक्षर नहीं थे और पहली बार में, इसे एक ऐसे राजनीतिक दल के नामांकित व्यक्ति के रूप में दायर किया गया था, जिसे निश्चित रूप से न तो पहचाना गया और न ही पंजीकृत पाया गया। इस प्रकार, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र को सही ढंग से खारिज कर दिया गया है । आगे यह तर्क

[2] (1997) 2 SCC 228

दिया गया है कि वास्तव में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार करना और याचिकाकर्ता को हस्ताक्षर करने के लिए 5 फरवरी 2000 को दस प्रस्तावकों को लाने की अनुमति देना उचित नहीं था, जब नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी की हिरासत में थे । इस प्रकार, रिटर्निंग ऑफिसर ने स्वयं अपने अधिकार क्षेत्र को पार किया है और इस तरह से कार्य करके अवैधता की है। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नामांकन पत्र को खारिज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं खुला था। मेरा ध्यान रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पारित आदेश की ओर आकर्षित किया गया है जो 4 फरवरी 2000 को Ex. PW 3/1 और Ex. PW ¾ के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है जो इस प्रकार है:-

"Ex. PW 3/1

आदेश

श्री अल्ताफ हुसैन पुत्र श्री तफज्जुल हुसैन गांव पपरा तहसील पुन्हाना जिला गुड़गांव, 58-नूंह विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया है। उनके नामांकन प्रपत्र भाग-I के अनुसार उनके नामांकन पर केवल एक प्रस्तावक श्री सफ़ी मोहम्मद (भाग 125 क्रम संख्या 196 पर) द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। । उसी फॉर्म के भाग 2 के अनुसार, उन्होंने खुद को राष्ट्रीय लोक दल द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार के रूप में दिखाया है और फॉर्म-ए और फॉर्म-बी को नामांकन की नियत तारीख यानी 3-2-2000 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे के बीच इस कार्यालय में प्राप्त किया है। जांच के दौरान यह देखा गया कि भाग II को शायद यह मानकर खाली छोड़ दिया गया है कि वह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य पार्टी का प्रायोजित उम्मीदवार है, लेकिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के प्रावधान के अनुसार कहा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़ा नहीं किया गया उम्मीदवार किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव के लिए विधिवत नामांकित नहीं माना जाएगा, जब तक कि निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक होने के नाते नामांकन पत्र 10

प्रस्तावकों द्वारा हस्ताक्षरित न किया गया हो और रिटर्निंग अधिकारी के लिए हैंडबुक वर्ष 1998 में नामांकन पत्रों को अस्वीकार करने के मुख्य आधार पैराग्राफ 10.1(viii) में निहित निर्देशों के अनुसार नामांकन पत्र को प्रस्तावकों की आवश्यक संख्या यानी 10 प्रस्तावकों द्वारा सदस्यता दी जानी चाहिए जैसा कि ऊपर बताया गया है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए श्री अल्ताफ हुसैन द्वारा दाखिल किया गया नामांकन प्रपत्र खारिज कर दिया गया है।

एसडी/-

स्थान : नूंह

रिटर्निंग अधिकारी

दिनांक: 4-2-2000

58-नूंह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-

सह-एसडीओ (सी) नूंह।"

Ex. PW 3/4

"उम्मीदवार श्री अल्ताफ हुसैन को सुनवाई/खंडन का अवसर 5-2-2000 शाम 5.00 बजे तक दिया गया

एसडी/- 5-2-2000

रिटर्निंग अधिकारी

58-नूह विधानसभा क्षेत्र एवं

उपमंडल अधिकारी (C) नूंह

जिला गुडगाँव।

उपस्थित श्री अल्ताफ हुसैन। उन्होंने अनुरोध किया है कि मुझे आपत्ति दूर करने के लिए आवश्यक दस प्रस्तावकों को पेश करने का अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि लोग उनके साथ हैं। उन्हें नामांकन फॉर्म के भाग- II में प्रविष्टि करने

की अनुमति दी जाए । उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई और उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 का अनुपालन किया है , इस नामांकन पत्र को स्वीकार किया जाए। स्थिति की नए सिरे से जांच करने और कानूनी व्यक्तियों, पुस्तकों, नियमों आदि से परामर्श करने पर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कानूनी और तकनीकी रूप से ऐसा होना उचित नहीं है। इसलिए उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं श्री अल्ताफ हुसैन की उम्मीदवारी को पुनः अस्वीकार करता हूं।

एसडी/- 5-2-2000

रिटर्निंग अधिकारी

58-नूह विधानसभा क्षेत्र एवं

उपमंडल अधिकारी (C) नूंह

जिला गुडगाँव।"

(22) मैंने याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से और प्रतिवादी (निर्वाचित अभ्यर्थी) के विद्वान वकील द्वारा संबोधित प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है। मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता इस बिंदु पर अपने तर्क को साबित करने में सक्षम नहीं है कि उसका नामांकन पत्र गलत और अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया था। वह यह विश्वास दिलाने में सक्षम नहीं है कि वास्तव में उसका नामांकन वैध रूप से प्रस्तुत किया गया था और गलत/अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया था। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 4 फरवरी 2000 को अस्वीकृति का आदेश पारित करके नामांकन पत्र को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था, जिसमें ठोस कारण व्यक्त किया गया था। रिटर्निंग अधिकारी के पास आए नामांकन पत्र पर दस प्रस्तावकों को अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति देकर याचिकाकर्ता को खंडन में छूट देना रिटर्निंग अधिकारी के लिए उचित नहीं था । इस प्रकार, रिटर्निंग ऑफिसर ने इस तरह की छूट देकर अपने

अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया, जो अनियमितता पाई गई वह पर्याप्त प्रकृति की थी। इस प्रकार, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 4 फरवरी 2000 को सही और न्यायोचित आदेश पारित किया गया है । प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत शीर्ष न्यायालय के फैसले में यह आदेश दिया गया है कि प्रस्तावक की चुनावी संख्या का गलत उल्लेख भी पर्याप्त प्रकृति की कमी है और ऐसे आधार पर नामांकन पत्र की अस्वीकृति को बरकरार रखा गया है । मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसका नामांकन पत्र एक ऐसे राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित होने पर दाखिल किया गया था, जो न तो मान्यता प्राप्त है और न ही पंजीकृत है। इस प्रकार, उस आधार पर नामांकन पत्र टिकाऊ नहीं था और यदि इसे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के नामांकन के रूप में माना जाना था, तो दस प्रस्तावकों के हस्ताक्षर की आवश्यकता थी, लेकिन जांच की तारीख पर नामांकन पत्र पर ये हस्ताक्षर नहीं पाए गए और ऐसी अनियमितता के कारण वह रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र को खारिज करने का आदेश सही ढंग से पारित किया गया है। ऐसा कोई प्रावधान इंगित नहीं किया गया जो याचिकाकर्ता को उस अनियमितता को सुधारने में सक्षम कर सके जो प्रकृति में पर्याप्त है, ऐसे कृत्य को खंडन के दायरे में नहीं लाया जा सकता है और इसे लिपिकीय प्रकृति की कमी के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, नामांकन पत्र सही ढंग से खारिज कर दिया गया है, प्रतिवादी के चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया कोई आधार उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, मुद्दा संख्या 1 पर निष्कर्ष याचिकाकर्ता के खिलाफ लौटाया जाता है।

मुद्दा संख्या 2

(23) विद्वान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि यह कारण बताते हुए कि मान्यता प्राप्त और पंजीकृत पार्टी के मुख्य उम्मीदवार का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया है जैबुनिसा द्वारा वैध रूप से दाखिल नामांकन पत्र को

रिटर्निंग अधिकारी ने गलत तरीके से खारिज कर दिया है । यह तर्क दिया गया है कि वास्तव में श्रीमती जैबुनिस्सा द्वारा दाखिल किया गया नामांकन पत्र नाम वापसी की तारीख तक खारिज नहीं किया जाना चाहिए था । याचिकाकर्ता इस संबंध में ऐसे किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं कर सका है, हालांकि, उसने राकेश कुमार बनाम सुनील कुमार[3] मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा जताया है, मुझे डर है कि यह निर्णय इस मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं है। शीर्ष अदालत के समक्ष मामले में सवाल यह था कि भाजपा के कवरिंग उम्मीदवार ने दावा किया था कि भाजपा के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह उसे आवंटित किया जाए। उन्होंने कार्यालय से पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में अपनी आधिकारिक पुष्टि के लिए 24 घंटे का समय मांगा था । इन परिस्थितियों में खंडन के अधिकार को प्रदत्त नहीं माना गया और रिटर्निंग अधिकारी ने इस आधार पर उम्मीदवारी खारिज कर दी कि उम्मीदवार एक कवरिंग उम्मीदवार है। जहां तक जैबुनिसा के मामले की बात है तो उन्होंने इस मामले में गवाह के रूप में पेश होते हुए खुद स्वीकार किया है कि उनके पति मुख्य उम्मीदवार थे और वह केवल कवरिंग उम्मीदवार थीं। उन्होंने यह दावा भी नहीं किया है कि उनका नामांकन पत्र गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था।

(24) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि जहां तक जैबुनिसा का सवाल है, उसने रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पारित अस्वीकृति के आदेश पर सवाल नहीं उठाया है । अपनी जिरह में उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनके पति ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया था। कृष्णा मोहिनी (सुश्री) बनाम मोहिंदर नाथ सोफत मामले में दिए गए शीर्ष न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है[4], और वह स्पष्ट संदर्भ पैरा 34 में दिया गया है, जो इस प्रकार है: -

---

[3] AIR 1999 SC 935
[4] AIR 2000 SC 317

34. किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार और किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े नहीं किए गए उम्मीदवार द्वारा दाखिल किए गए नामांकन के बीच अंतर सटीक है। अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (1) के पहले प्रोवाइज़ो के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक उम्मीदवार जो किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़ा नहीं किया गया है, जिसका अर्थ है कि एक गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा या एक स्वतंत्र उम्मीदवार की तरह खड़ा किया गया उम्मीदवार, चुनाव के लिए विधिवत नामांकित होने के लिए उसके नामांकन पत्र पर दस प्रस्तावकों जो निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक है द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए। यदि ऐसे नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में केवल एक निर्वाचक या दस से कम संख्या में निर्वाचकों द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, तो यह धारा 33 के प्रावधानों का गैर-अनुपालन माना जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा गठित एक उम्मीदवार, जो केवल एक स्थानापन्न या कवर उम्मीदवार है, निर्वाचन क्षेत्र के केवल एक निर्वाचक द्वारा प्रस्तावित अपने नामांकन पत्र को दाखिल कर सकता है। यदि उस राजनीतिक दल के अनुमोदित उम्मीदवार का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तो स्थानापन्न या कवर उम्मीदवार द्वारा दाखिल नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा केवल एक ही उम्मीदवार खड़ा किया जा सकता है। एक पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार होने के लिए ताकि एक ही निर्वाचक द्वारा प्रस्तावित होने का लाभ उठाया जा सके, प्रतीक आदेश के पैरा 13 के खंड (ए), (बी), (सी) और (डी) में निर्धारित सभी चार आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए। यदि कोई एक या अधिक आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती हैं, तो एकल निर्वाचक द्वारा प्रस्तावित नामांकन का लाभ उसे

उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है जहां अधिक उम्मीदवार एक ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार बनने के इच्छुक हों। जिसके संबंध में प्रतीक आदेश के पैरा 13 के उप-पैरा (बी), (सी) और (डी) के संदर्भ में फॉर्म ए और बी में नोटिस और संचार नामांकन की अंतिम तिथि को दोपहर 3.00 बजे से पहले दाखिल नहीं किया गया है वह राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार माना जाएगा। उनका नामांकन पत्र, भले ही प्रस्तावक के रूप में एकल निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित हो, वैधता के संबंध में अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन वैध होगा। यदि प्रतीक आदेश के पैरा 13 के उप-पैरा (बी), (सी) और (डी) द्वारा विचार की गई किसी भी आवश्यकता का अपेक्षित नोटिस और संचार दाखिल करके अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा स्थापित नहीं माना जाएगा। । यदि उसके नामांकन पर एक निर्वाचक या दस से कम निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि ऐसे उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (1) के पहले प्रोवाइज़ो के अर्थ के भीतर निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक होने के नाते दस प्रस्तावकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, तो नामांकन पत्र को त्रुटि के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रतीक या उसके चयन के संबंध में चूक, कोई ठोस चरित्र का दोष न होने के कारण, नामांकन स्वीकार किए जाने के रास्ते में नहीं आएगा। नामांकन पत्र को वैध के रूप में स्वीकार किया जाएगा और एक उपयुक्त प्रतीक जिसका उम्मीदवार चुनाव चिह्न आदेश के अनुसार हकदार हो सकता है, चुनाव आयोग द्वारा आवंटित किया जाएगा।

(25) मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और मैं याचिकाकर्ता द्वारा संबोधित तर्कों को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूं।

(26) यह तर्क कि जैबुनिसा का नामांकन पत्र वैध रूप से दाखिल किया गया था, इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था कि मुख्य उम्मीदवार का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया था टिकाऊ नहीं है। इसी तरह के तर्क पर शीर्ष अदालत ने गौर किया है और यह देखा गया है कि यदि मान्यता प्राप्त और पंजीकृत पार्टी के मुख्य उम्मीदवार/आधिकारिक उम्मीदवार का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तो दूसरे उम्मीदवार यानी उसी पार्टी के कवरिंग उम्मीदवार का नामांकन अस्वीकार किये जाने योग्य है। किसी मान्यता प्राप्त दल के केवल एक उम्मीदवार को ही चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार, यह तर्क कि रिटर्निंग अधिकारी को नाम वापसी की तारीख तक इंतजार करना आवश्यक था, न तो यहां है और न ही वहां है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में उपरोक्त तर्क के संबंध में कोई राय व्यक्त करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार, मुद्दा संख्या 2 पर निष्कर्ष याचिकाकर्ता के खिलाफ लौटाया जाता है।

मुद्दा संख्या 3

(27) इस मुद्दे के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया गया है। हालाँकि, मुद्दा संख्या 1 और 2 पर दिए गए निष्कर्षों और उसके संबंध में चर्चा के मद्देनजर यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी भौतिक तथ्य प्रकट किया गया है जो कार्रवाई के कारण के रूप में सामने आ सकता है। इस प्रकार, इस मुद्दे पर निष्कर्ष याचिकाकर्ता के खिलाफ लौटाया गया है।

राहत

(28) उपरोक्त चर्चा और मुद्दों पर आए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, मुझे नहीं लगता कि याचिका में किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा किया गया है या किसी भी कमजोर दावे को किसी भी ठोस सबूत द्वारा प्रमाणित किया गया है क्योंकि प्रतिवादी अर्थात सफल उम्मीदवार श्री हामिद

हुसैन के चुनाव परिणाम को अवैध या शून्य घोषित करने के लिए कोई भी सराहनीय तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। ।

(29) याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे लागत के साथ खारिज किया जाता है जिसका मूल्यांकन 5000/- रुपये पर किया गया है।

(30) इस निर्णय की प्रमाणित प्रति संबंधित क्वार्टरों को भेजी जाए।

याचिका खारिज।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
बिलासपुर,यमुनानगर